लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2023

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय ज्ञाप

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 2(13) के अधीन विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना प्राविधानित है।

अतः जिन सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति अद्यतन विश्वविद्यालय से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त नहीं है, के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि मा0 कार्य परिषद के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक प्राप्त कर विहित प्रकियानुसार विधिवत् निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन विश्वविद्यालय से तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के किसी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा। विश्वविद्यालय से प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन के लिए निम्नलिखित अभिलेखों/विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :—

1. संचालन संस्था के नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संस्था के संविधान अथवा महाविद्यालय की प्रशासनिक योजना जिसके अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव किया गया हो, की छायाप्रति।
2. चुनाव हेतु निर्गत नोटिस/एजेण्डा की छायाप्रति।
3. चुनाव हेतु सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त जिस पर उपस्थित सदस्यों **एवं विश्वविद्यालय से नामित पर्यवेक्षक** के हस्ताक्षर हों, की छायाप्रति।
4. संचालक संस्था के सचिव/प्रबन्धक की ओर से इस आशय का रू0 50—के स्टैम्प पर शपथ पत्र कि "निर्वाचित प्रबन्ध समिति में कोई विवाद नहीं है तथा निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी आपस में सगे सम्बन्धी/रिस्तेदार नहीं हैं" मूलरूप में संलग्न किया जाय।
5. संस्था के आम सभा के सदस्यों की सूची।
6. महाविद्यालय की निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची उनके पिता/ पति के नाम व पता सहित।
7. निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।

कृपया समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : AF-11903-07 दिनांक : 1/6/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
3. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों (लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एवं लखीमपुर खीरी) को ई—मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सहायक कुलसचिव (सम्ब.)।
5. प्रबन्धक, समस्त उपरोक्त सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालय।
6. गार्ड फाईल।

31-5-23

(संजय मेधावी)
कुलसचिव